

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

सी0सी0ए0 (जिला बदर) वाद संख्या - 47/2019

राज्य बनाम् दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग  
कार्रवाई के बारे  
टिप्पणी तारीख सह

17/07/2019

-:: आदेश ::-

लोक अभियोजक, रामगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता कैलाश धोबी, साकिन- जयनगर, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 धारा- 3(3)(क) के तहत जिला निष्कासन (जिला बदर) करने से संबंधित प्रस्ताव अनुसंसा के साथ न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक, रामगढ़ का बहस सुना। अभियुक्त के विरुद्ध व्यावसायियों, उद्यमियों, संवेदकों, ईट भट्टा मालिक आदि से रंगदारी एवं हत्या हेतु अपहरण करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार हैं :-

- 1- पतरातू (बरकाकाना) थाना काण्ड सं०-182/13 दिनांक-23.08.2013 धारा-341/342/323/307/385/386/120बी०/34 भा०द०वि० दर्ज है,
- 2- रामगढ़ थाना काण्ड सं०-138/10 दिनांक-03.06.2010 धारा-386/387/120बी०/414/34 भा०द०वि०, 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 3/5 वि०पदा०अधिनियम दर्ज है,
- 3- रामगढ़ थाना काण्ड सं०-130/10 दिनांक 24.05.2010 धारा-386/384/120बी०/34 भा०द०वि० एवं 3/5 वि०पदा०अधिनियम दर्ज है,
- 4- रामगढ़ थाना काण्ड सं०-96/10 दिनांक 19.04.2010 धारा- 384/386 भा०द०वि० दर्ज है एवं
- 5- पतरातू थाना कांड सं०- 28/04 दिनांक 02.03.2004 धारा-384/34 भा०द०वि० दर्ज है।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभ्युक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं। अभ्युक्त के अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस आधार नहीं बताया गया कि इनमें संगीन मामले दर्ज होने के बावजूद अभ्युक्त के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई क्यों नहीं की जाय।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक अभियोजक, रामगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुसंसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश से कुख्यात अपराधकर्मी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता कैलाश धोबी, साकिन-जयनगर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा- 3(3)(क) के तहत 06 (छः) महीने का जिला निष्कासन (जिला बदर) का आदेश दिया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को भेजे। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
रामगढ़।

401/विधि  
24/07/19